



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था.दो/वाहन/

दिनांक / / 2025

// आदेश //

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधीनस्थ समस्त महाविद्यालयों/केन्द्र/इकाईयों के अंतर्गत 15 वर्ष पूर्ण हो चुके शासकीय वाहनों एवं समस्त इकाईयों में पुराने विगत कई वर्षों से स्क्रेपिंग योग्य (निपटान) अनुपयोगी कृषि उपकरण/मशीनरी उपकरण एवं अन्य सामाग्री यदि उपलब्ध हों तो म.प्र. शासन के नियमानुसार स्क्रेपिंग (निपटान)/नीलामी संबंधी कार्यवाही संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी स्वयं के स्तर पर पूर्ण कर नीलामी से प्राप्त राशि विश्वविद्यालय खाते में इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

क्रमांक स्था.दो/वाहन/1258

दिनांक 19/12/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. अधिष्ठाता कृषि/कृषि अभियांत्रिकी संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. संचालक अनुसंधान/विस्तार/शिक्षण/प्रक्षेत्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. समस्त अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी महाविद्यालय.....।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
8. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र.....।
9. समस्त सह संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र.....।
10. समस्त प्रभारी.....ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
11. सहायक कुलसचिव, सामान्य/सहायक ग्रंथपाल, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
12. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
13. सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव

नोट:-समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत की गई अंतिम कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।